Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur,Chhattisgarh
गुरू घासीदास विश्वविद्यालय,बिलासपुर छत्तीसगढ़
(A Central University Established by the Central Universities Act 2009)

क्रमांक 91 /अ.छा.क./ 2016 बिलासपुर, दिनांक 22.08.2016

प्रति, ~~स्मरण-पत्र~~ संशोधित पत्र

समस्त विभागाध्यक्ष,

विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग

गुरू घासीदास विश्वविद्यालय

बिलासपुर छत्तीसगढ़

विषयः— छात्र कल्याण योजना के अंतर्गत छात्र—छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति बाबत।

संदर्भः— इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 80 /छात्र कल्याण/ दिनांक 02.08.2016

महोदय/महोदया,

संदर्भित पत्रानुसार छात्र कल्याण योजना के अंतर्गत शिक्षण विभाग में अध्ययनरत छात्र—छात्राओं में से अर्हतादायी छात्र—छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ दिये जाने संबंधी जानकारी आपकी ओर प्रेषित की गई थी। जिसके अंतर्गत दिनांक 16 अगस्त 2016 तक आपके विभाग से अर्हतादायी छात्र—छात्राओं की जानकारी इस कार्यालय को प्राप्त हो जानी थी। जो कि कई विभागों से आज पर्यन्त *अप्राप्त* है।

छात्रों को योजना का व्यापक लाभ देने हेतु अन्तिम तिथि में आदेशानुसार वृद्धि की गई है । दिनांक 15 सितम्बर 2016 तक अपने विभाग के इस योजना के अतर्गत अर्हतादायी छात्र—छात्राओं की सूची छात्र कल्याण योजना 2016 के अंतिम कियान्वयन हेतु प्रेषित करेंगे। इस तिथि तक उपरोक्तानुसार कार्यवाही ना होने तथा आपके विभाग के छात्रों को उक्त सुविधा से वंचित होने का सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा ।

नोट :— **उक्त योजना एवं इस पत्र की प्रति विभागीय सूचना पटल पर प्रसारित किया जाना आवश्यक है ।**

आदेशानुसार

[signature] 22.08.2016

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

पृ0क0 92/छात्र कल्याण/2016, बिलासपुर दिनांक 22.08.2016

प्रतिलिपि

1. कुलपति/कुलसचिव के सचिव/निज सहायक की ओर कुलपति/कुलसचिव के सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधिष्ठाता विभिन्न अध्ययनशालाओं के आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
3. मुख्य छात्रवास अधीक्षक/अधीक्षक बालक/बालिका छात्रावास को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4. विभागाध्यक्ष, संगणक संस्थान की ओर विश्वविद्यालय की बेबसाइट पर अपलोड करने बाबत् ।

[signature] 22.08.2016

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

393/CSIT 22/8/16